सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
कासगंज।

विषयः-जनपद न्यायालय कासगजं के मीटिंग हॉल में खान-पान कैन्टीन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 (दिनांक 01/04/2022 से दिनांक 31/03/2023 तक) के लिए ठेके की नीलामी की तिथी 23/09/2022 के स्थान पर 23/12/2022 नियत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि, जनपद न्यायालय कासगंज के 18 न्यायालय भवन परिसर में खान-पान कैन्टीन की वित्तीय वर्ष 2022-2023 (दिनांक 01/04/2022 से दिनांक 31/03/2023 तक) की नीलामी आज दिनांक 23/09/2022 को नियत थी परन्तु जनपद न्यायालय नजारत अनुभाग में नीलामी की बोली लगाने हेतु कोई बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ, खान-पान कैन्टीन नीलामी से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रिम दिनांक 23/12/2022 नियत की जाती है। खान-पान कैन्टीन के ठेके की नीलामी पूर्व में निर्धारित नियम व शर्तो के अधीन की जायेगी।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि खान-पान कैन्टीन की नीलामी हेतु अग्रिम तिथि 23/12/2022 नियत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

15.12.22

दिनांक- 15/12/2022

(गगन कुमार भारती)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
तृतीय अपर जिला जज,
कासगंज।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

1- जिला सूचना अधिकारी, कासगंज को जी0 ओ 0 सं0-562/19-02-2007-107 (टी0 सी0) दिनांकित 04/07/2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु एवं सूचनापट पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।
2- 18, न्यायालय कक्ष भवन, जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
3- कलैक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।
4- समस्त सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किये जाने हेतु।
5- नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

15.12.22

दिनांक-15/12/2022

(गगन कुमार भारती)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
तृतीय अपर जिला जज,
कासगंज।

अवलोकित! अनुमोदित

16.12.22

जनपद न्यायाधीश
कासगंज।

प्रेषक,

गमन कुमार भारती,
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-3
कासगंज।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

विषयः- जनपद न्यायालय कासगंज में नवनिर्मित 18 न्यायालय भवन स्थित मानों, कासगंज में कैंटिन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 (दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2022 की शेष अवधि के लिये) ठेके की नीलामी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अनुरोध करना है कि तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय नजारत, कासगंज के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 22/03/2022 पर तत्कालीन जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2022 के अनुक्रम में आज मेरे विश्राम कक्ष में गठित नीलामी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। नीलामी समिति के सदस्य श्री सुधाकर राय, विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी. एक्ट, कासगंज, श्री अभय प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज उपस्थित हुये एवं समिति के सदस्या सुश्री एकता कुशवाहा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-2, कासगंज, अवकाश पर हैं।

माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जनपद न्यायालय परिसर कासगंज में कैंटीन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2022 की शेष अवधि के लिये) ठेके की नीलामी के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।

अतः नीलामी समिति जनपद न्यायालय कासगंज में नवनिर्मित 18 न्यायालय भवन स्थित मानों, कासगंज में कैंटीन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2022 की शेष अवधि के लिये) ठेके की नीलामी पुनः दिनांक 23.12.2022 को समय 4:35 बजे जनपद न्यायालय कासगंज के नजारत अनुभाग में नीलामी शर्तों के अनुसार करने की अनुमति प्राप्त करने की संस्तुति करती है। नीलामी हेतु शर्तें निम्नवत है-

1. ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक) की शेष अवधि तक रहेगी।
2. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका स्वीकृत किया जायेगा।
3. ठेके की सम्पूर्ण धनराशि माह जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में जमा करना होगा।
4. प्रत्येक बोलीदाता को अंकन 25,000/-बोली बोलने से पूर्व जमा करने होंगे तथा साथ में अपना आई.डी. प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।
5. बोली बोलने वाला व्यक्ति काली सूची के अन्तर्गत न आता हो, कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही किसी प्रकार का कोई मामला विचाराधीन हो।
6. बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज के पास सुरक्षित रहेगा।
7. ठेकेदार को अपनी दुकान व आस-पास की साफ-सफाई आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रपत्र सं0-139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामान की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायालय कासगंज द्वारा सत्यापित करा कर ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहां से प्रत्येक ग्राहक सूची को आसानी से देख सके।
8. ठेकेदार ठेके की अवधि में उपयोग की गई विद्युत का खर्चा स्वयं वहन करेगा।
9. ठेकेदार के पक्ष में ठेके की धनराशि के मूल्य के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे एवं जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रपत्र सं0-31/एस दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार ठेकेदार को बोली के पश्चात 100/- रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।

Seen and approved

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

15/12/22	अवकाश पर।	Sudhakar 15-12-22	15.12.22
(अभय प्रताप सिंह-II)	(एकता कुशवाहा)	(सुधाकर राय)	(गमन कुमार भारती)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कासगंज।	द्वतीय अपर जिला जज कासगंज।	विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट, कासगंज।	तृतीय अपर जिला जज कासगंज।